

वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से अपनी संचार पहुंच को व्यापक बनाना जारी रखा। भारत के वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) को सफलतापूर्वक पूरा करने के अलावा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंध गहरे हुए। सरकार की ओर से प्रभावी नकदी प्रबंधन और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के सुदृढ़ प्रबंधन के लिए प्रयास किए गए। आर्थिक नीति विश्लेषण और अनुसंधान को तेज किया गया, और सूचना प्रबंधन प्रणालियों को और मजबूत किया गया।

X.1 रिजर्व बैंक की संचार नीति ने पारदर्शिता, स्पष्टता और समयबद्धता के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित अपनी विभिन्न नीतियों और कार्यों के बारे में जनता की धारणाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता की है। रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान अपने टूलकिट में पॉडकास्ट जोड़कर अपने संचार चैनलों को और मजबूत किया। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया गया। हितधारकों को एकीकृत प्लेटफॉर्म (जैसे, ई-कुबेर¹, एसएनए-स्पर्श² और टीआईएन³ 2.0) पर क्रमिक रूप से शामिल करके सरकारी नकदी प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए। बाजार की अनिश्चितता के बीच विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत किया गया। प्रमुख प्रकाशनों को समय पर जारी करने के साथ-साथ नीति निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करने की दिशा में कई समकालीन समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन किए गए। नवोन्मेषी तकनीकों और मॉडलों का उपयोग करके पूर्वानुमान और सांख्यिकीय विधियों को परिष्कृत किया गया, जबकि नवीनतम तकनीक को अपनाने के साथ सूचना

प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया। रिजर्व बैंक ने अपने संवैधानिक विनियमों के सामंजस्य की दिशा में भी काम शुरू किया।

X.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 रिजर्व बैंक की संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है। खंड 3 में रिजर्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ बातचीत शामिल है। खंड 4 सरकारों और बैंकों के एक बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक की गतिविधियों से संबंधित है। खंड 5 में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन के संचालन का विश्लेषण किया है। खंड 6 में आर्थिक अनुसंधान पर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित है, जिसमें सांविधिक रिपोर्ट और फ्रंटलाइन अनुसंधान प्रकाशन शामिल हैं। खंड 7 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों की रूपरेखा दी है, जबकि खंड 8 में विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

¹ रिजर्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान।

² एकल नोडल एजेंसी - समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (एसएनए-स्पर्श) एकीकृत त्वरित हस्तांतरण की एक वास्तविक समय प्रणाली है।

³ कर सूचना नेटवर्क।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 स्पष्ट और समयबद्ध केंद्रीय बैंक संचार, केंद्रीय बैंक की नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और सोशल मीडिया के युग में सक्रिय दो-तरफा संचार चैनल के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार को रोकता है। इस प्रकार, केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रभावी संचार उनके नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता को मजबूत कर सकता है और मूल्य एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

X.4 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक की संचार रणनीति ने जनता, निवेशकों और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद की। जब आवश्यकता हो, मौखिक संचार के माध्यम से पर्यवेक्षी और वित्तीय बाज़ार क्षेत्रों में समय पर हस्तक्षेप किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिज़र्व बैंक के बारे में फ़र्जी खबरों और डीपफ़ेक वीडियो की घटनाओं को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से तुरंत स्पष्ट किया गया और साथ ही, प्रणालीगत स्थिरता और जन विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कई चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान (पीएसी) चलाए गए।

X.5 वर्ष के दौरान, शीर्ष प्रबंधन के भाषणों और साक्षात्कारों तथा सोशल मीडिया पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों और सोच को उजागर करने के लिए ठोस प्रयास किए गए, जिससे कई उद्देश्यों को प्राप्त करने की इसकी क्षमता में जनता का विश्वास और भरोसा बनाने में मदद मिली। युवा आबादी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अतिरिक्त संचार उपकरण के रूप में पॉडकास्ट शुरू करने की घोषणा की।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.6 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मीडिया कर्मियों के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित करना (पैराग्राफ X.7);

- विभिन्न विषयों पर 360-डिग्री जागरूकता अभियान जारी रखना (पैराग्राफ X.8);
- रिज़र्व बैंक की संचार नीति की व्यापक समीक्षा करना (पैराग्राफ X.9);
- आरबीआई *सुनता है* (आरबीआई लिसन) कार्यक्रम शुरू करना (पैराग्राफ X.10);
- वित्तीय जागरूकता और जन जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना (पैराग्राफ X.11); और
- 'दी आरबीआई म्यूजियम' माइक्रोसाइट विकसित करना (पैराग्राफ X.12)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.7 वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिज़र्व बैंक के लिखित रूप में संरचित संचार को शीर्ष प्रबंधन के भाषणों और साक्षात्कारों तथा मौखिक नीति के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुपूरक बनाया गया। इसके अलावा, केंद्रीय बैंकिंग नीतियों के संबंध में क्षेत्रीय मीडिया को जानकारी देने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान कोलकाता और हैदराबाद में महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों पर अनौपचारिक मीडिया बातचीत और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

X.8 रिज़र्व बैंक ने एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका में, 'आरबीआई कहता है' और 'आरबीआई सेज़' बैनर के तहत 360-डिग्री पीएसी का संचालन जारी रखा। इन अभियानों का लक्ष्य रिज़र्व बैंक की पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को धोखाधड़ी करने वालों या योजनाओं के खिलाफ सचेत करना और वित्तीय साक्षरता में सुधार करना है। 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने प्रतिष्ठित व्यक्ति समर्थित संदेशों की प्रथा बंद कर दी, जबकि शुभंकर - मनी कुमार और सुश्री मनी को अधिक प्रमुखता दी। पिछले वर्ष की तुलना में, जहां रिज़र्व बैंक ने विभिन्न विषयों पर 30 अभियान शुरू किए

थे, इस वर्ष के दौरान (31 मार्च, 2025 तक) 23 विषयों को शामिल करते हुए 43 अभियान चलाए गए।

X.9 संचार नीति का एक संशोधित संस्करण (संस्करण 3.0, जनवरी 2025) वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, तथ्यों की जाँच का उपयोग करते परिवर्तनों को ध्यान में रखा जा सके और इसे संशोधित उत्कर्ष योजना के साथ संरेखित किया जा सके।

X.10 'आरबीआई सुनता है' परियोजना वर्तमान में मीडिया चैनलों से संकेतों को प्राप्त करने की रिजर्व बैंक की क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित की जा रही है, जो प्रारंभिक चेतावनी संकेत के रूप में कार्य कर सकती है या यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण जारी करने के लिए इनपुट प्रदान कर सकती है। वर्तमान में प्रगति पर चल रही यह परियोजना फर्जी खबरों का पता लगाने और हटाने में भी सक्षम होगी, जिससे चुनिंदा दो-तरफा संचार का मार्ग प्रशस्त होगा।

X.11 नई पहल के भाग के रूप में, रिजर्व बैंक के पीएसी को गूगल डिस्प्ले विज्ञापनों और यूट्यूब का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, दर्शकों को बेहतर तरीके से लक्षित किया गया और कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट और केंद्रित अभियान सक्षम हुए। रिजर्व बैंक ने पीएसी वितरित करने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में व्हाट्सएप को जोड़कर अपनी पहुंच का और विस्तार किया है।

X.12 वर्ष के दौरान, 'दी आरबीआई म्युजियम' माइक्रोसाइट विकसित की गई, ताकि रिजर्व बैंक की नीतियों और पहलों के बारे में परस्पर संवादात्मक सामग्री, शैक्षिक संसाधन और जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, साथ ही इसके इतिहास के कुछ अंश भी प्रदर्शित किए जा सकें।

प्रमुख गतिविधियां

X.13 2024-25 के दौरान, विभाग ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न मीडिया, जैसे टेलीविजन (टीवी), प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, आउट-ऑफ-होम (ओओएच), गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और शॉर्ट-मेसेजिंग-सेवाएं

(एसएमएस) का उपयोग करके अनुकूलित संचार प्रसारित किया (सारणी X.1)।

सारणी X.1: आवश्यकता आधारित अभियान (2024-25)

अभियान का विवरण	अवधि
1	2
1. मनी ऐप	अप्रैल 2024 अक्टूबर 2024
2. प्रथम सहायता शिकायत (आरबी-आईओएस)	मई 2024 अक्टूबर 2024
3. आधार सक्षम भुगतान प्रणाली	जून 2024
4. सीईपीडी एसएमएस अभियान	अप्रैल 2024 मई 2024 जून 2024 (2 अभियान) जुलाई 2024 अगस्त 2024 दिसंबर 2024 मार्च 2025
5. अकाउंट एग्रीगेटर	जुलाई 2024 अक्टूबर 2024
6. सिक्कों से संबंधित गलत सूचना	जुलाई 2024
7. धोखाधड़ी प्रतिरूपण	अगस्त 2024 नोव्हेंबर 2024
8. खुदरा प्रत्यक्ष मोबाइल ऐप	अगस्त 2024
9. अवैध धन वाहक	सितंबर 2024
10. सचेत पोर्टल	नोव्हेंबर 2024
11. विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म	नवंबर-दिसंबर 2024
12. यूडीजीएम पोर्टल	नवंबर-दिसंबर 2024
13. डीपफेक वीडियो पर सार्वजनिक सूचना	दिसंबर 2024
14. मल्टी थीमैटिक हाफ पेज प्रिंट अभियान	दिसंबर 2024
15. निष्क्रिय खाता	दिसंबर 2024
16. बाल जागरूकता कार्यक्रम - अज्ञात पॉप-अप से सावधान रहें	जनवरी 2025
17. बाल जागरूकता कार्यक्रम - गंदे नोटों का विनिमय	जनवरी 2025
18. नामांकन सुविधा	जनवरी - फरवरी 2025
19. डिजिटल अरेस्ट	जनवरी - फरवरी 2025
20. बाल जागरूकता कार्यक्रम - अनजान लिंक पर क्लिक न करें	जनवरी - फरवरी 2025
21. खुदरा प्रत्यक्ष मोबाइल ऐप	फरवरी 2025
22. नामांकन सुविधा	फरवरी-मार्च 2025
23. वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025	फरवरी-मार्च 2025
24. नामांकन सुविधा	मार्च 2025
25. आईपीएल 2025	मार्च-मई 2025

मनी: मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर।
आरबी-आईओएस: रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना।
सीईपीडी: उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग।
यूडीजीएम: दावा न की गई जमाराशियां - सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार।
स्रोत: आरबीआई।

X.14 इन विषयगत अनुकूलित अभियानों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), पेरिस ओलंपिक 2024, कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), ड्रामा जूनियर्स (मराठी), प्रो कबड्डी लीग 2024 और निकलोडियन के साथ बाल केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम जैसे उच्च प्रभाव वाले आयोजनों/कार्यक्रमों में भाग लिया। टियर-3 और टियर-4 शहरों में बेहतर पहुँच के लिए, राष्ट्रीय प्रसारकों, जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी अभियान चलाए गए।

आरबीआई वेबसाइट

X.15 2024-25 के दौरान, विभाग ने 2,517 प्रेस प्रकाशनी, 161 अधिसूचनाएं, 16 मास्टर परिपत्र, 16 मास्टर निदेश जारी किए और शीर्ष प्रबंधन के 14 साक्षात्कार और 60 भाषण, पाँच आरबीआई रिपोर्टें, सात वर्किंग पेपर, 2,351 निविदाएं और 53 भर्ती संबंधी विज्ञापन अपलोड किए। नव विकसित आरबीआई वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन 5 अप्रैल, 2024 को जारी किए गए। नई वेबसाइट के पूरी तरह से स्थायी होने तक पुरानी और नई दोनों आरबीआई वेबसाइट समानांतर रूप से चलेंगी।

अन्य पहल

बच्चों के लिए जागरूकता अभियान

X.16 'कैच देम यंग' पहल के भाग के रूप में, 'आरबीआई कहता है... स्मार्ट बनो, कूल रहो' टैगलाइन के साथ सरलीकृत जन जागरूकता संदेश जारी किए गए, जिनका उद्देश्य बच्चों में जागरूकता पैदा करना था। बच्चों को ध्यान में रखकर संदेश के लिए नए शुभंकर - 'जूनियर मनी' और 'मिनी मनी' पेश किए गए, ताकि बच्चों को इसमें जोड़ा जा सके।

सोशल मीडिया कमांड सेंटर

X.17 फॉलोवर्स की बढ़ती संख्या, जन सहभागिता और सूचना प्रसार से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिज़र्व बैंक की उपस्थिति के अच्छे प्रमाण दिखाई देते हैं। (सारणी X.2)।

मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस

X.18 द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की तारीख पर, गवर्नर और उप गवर्नर मीडिया कर्मियों से परस्पर चर्चा करते हैं। 2024-25 के दौरान इस प्रकार की छह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं।

सारणी X.2: सोशल मीडिया उपस्थिति*

प्लेटफॉर्म	सोशल मीडिया हैंडल/पेज का नाम	शुरू करने की तारीख	फॉलोवर्स / सब्सक्राइबर्स की संख्या (लाख)
1	2	3	4
1. X (पूर्व में ट्वीटर)	i. @RBI ii. @RBISays	जनवरी 2012 अगस्त 2019	23.00 2.30
2. यूट्यूब	Reserve Bank of India	अगस्त 2013	4.85
3. फेसबुक	i. @RBISays ii. @therbimuseum	अगस्त 2019 फरवरी 2020	0.17 0.03
4. इंस्टाग्राम	@reservebankofindia	जनवरी 2022	3.70
5. पब्लिक ऐप	@RBISays	जनवरी 2023	0.67
6. लिंकडइन	@Reserve Bank of India	दिसंबर 2023	2.04

*: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार।

स्रोत: आरबीआई।

अनौपचारिक मीडिया संवाद

X.19 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने मुंबई और दिल्ली में स्थापित एक अनौपचारिक चैथम हाउस⁴ में 13 मीडिया संवाद आयोजित किए।

पॉडकास्ट

X.20 व्याख्याताओं, रिज़र्व बैंक कर्मियों के चुनिंदा साक्षात्कारों और इसके दायरे में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा के लिए वीडियो के साथ पॉडकास्ट (जिसे आमतौर पर 'वोडकास्ट' कहा जाता है) का उपयोग किया जाता है। पॉडकास्ट का उद्देश्य रिज़र्व बैंक के उन केंद्रित क्षेत्रों में दृश्यता और जागरूकता पैदा करना है जो पारंपरिक मीडिया में पर्याप्त ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं (बॉक्स X.1)।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.21 2025-26 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार चैनलों को और मजबूत किया जाएगा:

- आरबीआई सुनता है - सोशल मीडिया लिसनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत;
- पॉडकास्ट की सुविधा के साथ मीडिया रूम;
- पीएसी का प्रभाव आकलन; और
- जागरूकता अभियानों के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) के साथ अधिक सहयोग।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.22 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईओ) और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया। भारत के दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जी20, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), वित्तीय स्थिरता

बॉक्स X.1

केंद्रीय बैंकों द्वारा पॉडकास्ट - एक विशिष्ट डिजिटल संचार उपकरण

पॉडकास्ट का उपयोग मीडिया प्लेटफॉर्म, स्वतंत्र मीडिया और स्टैंडअलोन पॉडकास्ट उत्पादकों द्वारा विशिष्ट विषयों पर आला और लक्षित सामग्री प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रमुख केंद्रीय बैंकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों जैसे कि यूएस फेडरल रिज़र्व (यूएस फेड), यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी), बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), और विश्व बैंक ने अपने संदेशों और विचारों को सर्वदूर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पॉडकास्ट को अपनाया है। इन संस्थानों की तरह, रिज़र्व बैंक मौजूदा संरचित संचार के साथ-साथ अपने संचार उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में पॉडकास्ट का उपयोग करने की योजना बना रहा है। पॉडकास्ट को कभी भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और यह नीति संचार को खासकर युवा, तकनीक-प्रेमी और क्षेत्रीय-भाषा बोलने वाली आबादी के लिए अधिक सुलभ, आकर्षक और प्रासंगिक बनाता है। यह नवोन्मेष रिज़र्व बैंक की डिजिटल-फर्स्ट रणनीति के अनुरूप है, जो मीडिया उपभोग की बदलती आदतों के प्रति इसके अनुकूलन को दर्शाता है। पॉडकास्ट तकनीकी विषयों को सरल,

संवादात्मक व्याख्यात्मक प्रारूपों में तोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे रिज़र्व बैंक के संदेश जनता के लिए अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनेंगे। पारंपरिक प्रसारण के विपरीत, पॉडकास्ट श्रोताओं से प्रतिक्रिया और सहभागिता की संभावना प्रदान करते हैं। इस संचार उपकरण से मुद्रास्फीति, डिजिटल भुगतान, साइबर धोखाधड़ी और मौद्रिक नीति जैसे विषयों को आकर्षक तरीके से पेश करके गलत सूचनाओं से निपटने की उम्मीद है।

संदर्भ :

1. धीमान, बी. (2023), 'द पावर ऑफ पॉडकास्ट: रिवोल्यूशनाइजिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन', 20 जुलाई, एसएसआरएन में उपलब्ध।
2. मेहंदले, एस. (2022), 'व्हाई इंडिया पॉड्स: स्टडी द मोटिवेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट पॉडकास्टर्स', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, 14 (4): 2612-2618।

⁴ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसे आमतौर पर चैथम हाउस के नाम से जाना जाता है, यह लंदन, इंग्लैंड में स्थित एक ब्रिटिश थिंक-टैंक है। चैथम हाउस नियम उन वक्ताओं द्वारा किसी भी मुद्दे पर साफ और स्पष्टवादी चर्चा की सुविधा के लिए विकसित हुआ, जिनके पास स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए अन्य उपयुक्त मंच नहीं हो सकता है।

बोर्ड (एफएसबी), सार्कफाइनेंस⁵ और ब्रिक्स⁶ जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखा गया। रिज़र्व बैंक ने दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की अध्यक्षता का अपना कार्यकाल पूरा किया और इसके बाद, बैंक ऑफ़ कोरिया (बीओके) ने अध्यक्षता संभाली। सार्क देशों की अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान 2024-27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप के संशोधित ढांचे को भी अंतिम रूप दिया गया।

2024-25 की कार्यसूची

X.23 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 2024-27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.24];
- आईएमएफ-विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) संयुक्त पंचवार्षिक निगरानी - भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन

कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.25]; और

- वर्ष 2024 के लिए एसईएसीईएन केंद्र के अध्यक्ष के रूप में, रिज़र्व बैंक 17वें एसईएसीईएन उच्च-स्तरीय सेमिनार और एसईएसीईएन कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ) की 23वीं बैठक की मेजबानी करेगा [पैराग्राफ X.26]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.24 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अनुमोदन से 2024-27 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था से संबंधित ढांचे को संशोधित किया है (बॉक्स X.2)।

X.25 विभाग ने आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित देश के वित्तीय क्षेत्र के एक व्यापक मूल्यांकन के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 अभ्यास के तहत चर्चाओं को सुगम बनाया। यह मूल्यांकन

बॉक्स X.2

सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था की रूपरेखा, 2024-27

केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप, विशेष रूप से द्विपक्षीय स्वैप और क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था, वैश्विक वित्तीय रक्षा कवच का एक अभिन्न अंग हैं। भारत ने अन्य सार्क देशों के परामर्श से 2012 में सार्क देशों के लिए द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था लागू की। सार्क मुद्रा स्वैप सुविधा एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जो सार्क देशों को भुगतान संतुलन के दबाव या अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलनिधि प्रदान करती है और इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

भारत सरकार की मंजूरी से, रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2024 से 18 जून 2027 तक तीन वर्षों के लिए नया सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा 2024-27 लागू किया। इस ढांचे के तहत, भारतीय रुपए में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक भारतीय रुपया (आईएनआर) स्वैप विंडो ₹250 बिलियन के कुल मूल निधि के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आईएनआर स्वैप पर ध्यान केंद्रित करना और

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में आईएनआर के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। रिज़र्व बैंक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र मूल निधि के साथ मौजूदा यूएसडी/यूरो स्वैप विंडो के तहत यूएसडी और यूरो में स्वैप सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। इस ढांचे में अपवादिक मामलों में इन दोनों विंडो तक एक साथ पहुंच का प्रावधान भी है, जिसमें किसी भी समय स्वैप सुविधा के तहत कुल मिलाकर संवितरण 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष से अधिक नहीं होगा।

रिज़र्व बैंक ने नए ढांचे के तहत, 1 अगस्त, 2024 को भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी और 7 अक्टूबर, 2024 को मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। नए ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया कुल स्वैप समर्थन यूएसडी/यूरो विंडो के तहत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आईएनआर विंडो के तहत ₹15 बिलियन है।

स्रोत: आरबीआई।

⁵ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों (अर्थात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त सचिवों का नेटवर्क।

⁶ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में गुट में शामिल हुआ।

वित्तीय प्रणाली के बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल कोर सिद्धांतों (बीसीपी) और सीपीएमआई-आईओएससीओ⁷ कोर सिद्धांतों जैसे वैश्विक मानकों के अनुपालन पर आधारित है। हर पांच वर्षों के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण 32 क्षेत्राधिकारों (भारत सहित) और प्रत्येक दस वर्षों के लिए अन्य 15 क्षेत्राधिकारों के लिए एफएसएपी के तहत वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन अनिवार्य है। 1999 में इसका उपयोग शुरू होने के बाद, एफएसएपी मूल्यांकन के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले पहले देशों में से एक भारत था और 2010 से एफएसएपी से गुजर रहा है। भारत के लिए 2024 एफएसएपी अभ्यास के तहत अधिकांश बैठकें दिसंबर 2023 में शुरू हुईं और 4 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न हुईं। 28 फरवरी, 2025 को आईएमएफ द्वारा वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन (एफएसएसए) के साथ ही एफएसएपी अभ्यास पूरा हो गया है। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) रिपोर्ट भी निर्धारित समय में जारी किए जाने की उम्मीद है। एफएसएपी के समग्र आकलन से संकेत मिलता है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली समुत्थानशील है और आर्थिक विकास, डिजिटलीकरण और सहायक आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित अधिक वैविध्यपूर्ण और समावेशी बन गई है।

X.26 एसईएसीईएन कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ) - सदस्य केंद्रीय बैंकों के उप-गवर्नरों की समिति की 23वीं बैठक 30 अगस्त, 2024 को 19 सदस्यीय केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर डॉ. माइकल देवव्रत पात्र की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। इस बैठक में, 2024 में एसईएसीईएन केंद्र की कार्य योजना के कार्यान्वयन, गतिविधियों, 2025 के बजट और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

अन्य पहल

बीआईएस गतिविधियां

X.27 विभाग ने बीआईएस की विभिन्न बैठकों जैसे गवर्नरों की द्विमासिक बैठकें, वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (सीजीएफएस)⁸, उभरते बाजार उप-गवर्नरों की बीआईएस वार्षिक बैठक और बीआईएस वार्षिक सम्मेलन के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस की प्रिपरेटरी एशियाई परामर्शदात्री काउंसिल (एसीसी) की बैठकों में भाग लिया।

वैश्विक वित्तीय विनियमन पर एफएसबी की पहलें

X.28 विभाग ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी की विभिन्न स्थायी समितियों की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें विभिन्न विषयों पर रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया। इनमें वित्तीय स्थिरता पर वैश्विक सहयोग, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) की समुत्थानशीलता, मार्च 2023 की बैंकिंग उथल-पुथल, सीमा पार भुगतान, साइबर और परिचालनगत समुत्थानशीलता, डिजिटल नवोन्मेष [कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और टोकनाइजेशन सहित], और प्रकृति से संबंधित वित्तीय जोखिम शामिल थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रमुख एफएसबी रिपोर्टों और एफएसबी द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों पर सूचना प्रदान की।

आईएमएफ

X.29 विभाग ने प्रारंभिक चेतावनी अभ्यास पर वैश्विक नीति कार्यसूची; आईएमएफ कोटा और अनुशासन सुधार; और एकीकृत नीति ढांचे के तहत विनियम दर प्रबंधन पर

⁷ भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) - प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ)।

⁸ सीजीएफएस वैश्विक वित्तीय बाजारों में दबाव के संभावित स्रोतों का आकलन करता है और उनके कामकाज और स्थिरता में सुधार को बढ़ावा देता है।

भारत के रुख पर अप्रैल और अक्टूबर 2024 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की द्वि-वार्षिक निधि-बैंक बैठकों में रिज़र्व बैंक की भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान किया। विभाग ने अपने द्विपक्षीय उधार व्यवस्था (बीबीए) के माध्यम से आईएमएफ संसाधन जुटाने सहित विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर रिज़र्व बैंक के रुख को वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) के साथ साझा किया। इसने दिसंबर 2024 के दौरान आयोजित आईएमएफ के पैराग्राफ IV परामर्श को पूरा करने में भी सहायता प्रदान की। 27 फरवरी, 2025 को जारी की गयी आईएमएफ पैराग्राफ IV रिपोर्ट ने एक अनुकूल मूल्यांकन किया जिसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है, मुद्रास्फीति व्यापक रूप से लक्ष्य बैंड तक गिर गई है, वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है और राजकोषीय समेकन जारी रहा।

जी20

X.30 ब्राजील की जी20 अध्यक्षता 'बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट' की थीम पर केन्द्रित रही। इसने कई पुरानी प्राथमिकताओं से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें भारत की जी20 अध्यक्षता⁹ के तहत शुरू किए गए कार्य जैसे कि साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता को बढ़ाना, ऋण कमजोरियों का प्रबंधन करना, वैश्विक वित्तीय रक्षा कवच को मजबूत करना, संधारणीय पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना, सीमा पार भुगतान बढ़ाना, साइबर लचीलापन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

X.31 भारत ने ट्रोइका¹⁰ के रूप में, अपने प्रस्तावों, इनपुट और टिप्पणियों के संदर्भ में ब्राजील की अध्यक्षता को अपना समर्थन दिया। वित्त ट्रैक के तहत, रिज़र्व बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय में वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों, वित्तीय

समावेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, समष्टि आर्थिक नीति ढांचे और संधारणीय वित्त के तहत प्राथमिकताओं पर काम किया।

X.32 दक्षिण अफ्रीका 'एकजुटता, समानता और स्थिरता' इस सर्वव्यापी विषय के साथ, 1 दिसंबर 2024 को जी-20 की कमान संभालने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया, जिससे मंच की चर्चा में वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व की निरंतरता का संकेत मिलता है।

सार्कफाइनेंस

X.33 रिज़र्व बैंक ने 2025-2030 की अवधि के लिए क्षेत्रीय सहयोग हेतु सार्कफाइनेंस रोडमैप को लागू करने का बीड़ा उठाया, जिसमें सार्क केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग के तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, जलवायु और निरंतर विकास के लिए वित्तपोषण, और केंद्रीय बैंकिंग परिचालन में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

ब्रिक्स

X.34 2024 में ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के तहत, ब्रिक्स आर्थिक दृष्टिकोण और नीति सहयोग, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय अनुशासन सुधार, राष्ट्रीय मुद्राओं में निपटान को बढ़ावा देने, आकस्मिक आरक्षित मुद्रा व्यवस्था (सीआरए) में संशोधन पर चर्चाओं का रुख केंद्रित था, ताकि नए सदस्यों और वैकल्पिक पात्र मुद्राओं को शामिल करके इसे और अधिक गतिशील बनाया जा सके।

क्षमता निर्माण

X.35 रिज़र्व बैंक ने सार्कफाइनेंस सदस्यों और दक्षिण पूर्व एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के केंद्रीय बैंकों के

⁹ भारत ने अपनी जी20 अध्यक्षता सफलतापूर्वक पूरी की, जिसकी परिणति नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के समर्थन में हुई। नतीजतन, भारत ने 1 दिसंबर, 2023 को जी20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी।

¹⁰ जी20 ट्रोइका तीन देशों का एक समूह है जिसमें वर्तमान, पिछली और भविष्य की G20 अध्यक्षता शामिल हैं।

लिए एक्सपोजर विजिट, तकनीकी सहायता, कार्यशालाओं और अनुभव साझा करने संबंधी सत्र आयोजित करके क्षमता निर्माण पहलों में संलग्न होना जारी रखा।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.36 वर्ष के दौरान, विभाग रिज़र्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- ब्रिक्स सीआरए संधि में संशोधनों को अंतिम रूप देकर और सीआरए में नए ब्रिक्स सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा को सुविधाजनक बनाकर ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना;
- सार्क देशों के लिए 2024-27 के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर रूपरेखा के तहत स्वैप समर्थन के लिए परिचालन तत्परता जारी रखना;
- क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से सार्कफाइनेंस और अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग को मजबूत करना; और
- अन्य केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से बैंक डी फ्रांस और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ बातचीत करते हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप देना।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.37 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिज़र्व बैंक के आंतरिक लेखों का लेखा-जोखा रखने और रिज़र्व बैंक की लेखा नीतियों को तैयार करने के अलावा बैंकों के बैंकर और सरकारों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों का प्रबंधन करता है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.38 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- अधिसूचित राज्यों के लिए सरकारी प्रणाली के साथ ई-कुबेर के एकीकरण के माध्यम से केंद्र

प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का कार्यान्वयन [पैराग्राफ X.39]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.39 वर्ष के दौरान, 20 और राज्यों में सीएसएस भुगतान व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ ही, केंद्र सरकार और 27 राज्य सरकारें इस व्यवस्था के तहत सक्रिय हैं। इसने ई-कुबेर और केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों दोनों की वित्तीय प्रणालियों के बीच त्रिपक्षीय एकीकरण का उपयोग करके सीएसएस के तहत जस्ट-इन-टाइम भुगतान को सक्षम किया है।

प्रमुख गतिविधियां

सरकारी भुगतान प्रणालियों में दक्षता बढ़ाना

X.40 मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य सरकारों को ई-कुबेर में ई-भुगतान के लिए एकीकृत किया गया है। सरकारों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने कई पहलों को लागू किया है, जिसमें सरकारों के लिए डैशबोर्ड सुविधा और आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) भुगतान की शुरुआत शामिल है (बॉक्स X.3)।

ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों का एकीकरण

X.41 वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को दी जानेवाली रसीदों की मैनुअल रिपोर्टिंग की प्रक्रिया, जो पहले से ही ई-कुबेर प्रणाली के साथ एकीकृत हैं, को सरकारी लेन-देनों के ऑनलाइन समाधान के साथ तेज़ और कुशल प्रसंस्करण के लिए बंद कर दिया गया। ई-रसीद एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए सात राज्य सरकारों को भी रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया और एक राज्य सरकार को एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित रसीद के लिए ई-कुबेर प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया।

बॉक्स X.3

सरकारी लेन-देन में दक्षता लाने के लिए पहल

ई-भुगतान और ई-रसीदों के प्रसंस्करण के लिए रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के साथ सरकार की प्रणालियों के बढ़ते एकीकरण से, रिजर्व बैंक के माध्यम से संसाधित लेनदेनों की मात्रा कई गुना बढ़ गई है। सरकारों के लिए बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए 2024-25 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा जाएगा, इस प्रकार हैं:

सरकारों के लिए डैशबोर्ड सुविधा

राज्य सरकार के खाताधारकों को रिजर्व बैंक के माध्यम से संसाधित लेनदेनों के विवरण और स्थिति को देखने/डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, एक वेब-आधारित परस्पर संवादात्मक डैशबोर्ड सुविधा विकसित की गई है और अप्रैल 2024 में इसे लाइव कर दिया गया है। डैशबोर्ड सुविधा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सरकारी उपयोगकर्ता ई-कुबेर एकीकरण के माध्यम से संसाधित ई-रसीदों और ई-भुगतान लेनदेनों की लेनदेन आवर्तन स्थिति देख सकते हैं;
- सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार डैशबोर्ड देखने के लिए कई सरकारी यूजर्स के सृजन को सक्षम बनाता है;
- सरकारी उपयोगकर्ता समाधान के लिए लेनदेन स्तर के डेटा को डाउनलोड/एक्सपोर्ट कर सकते हैं; और

- लेनदेन डेटा को ज़रूरत के अनुसार लेनदेनों के विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके फ़िल्टर और अनुकूलित किया जा सकता है।

आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीएसएस के तहत डीबीटी भुगतानों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के माध्यम से संसाधित करने की आवश्यकता है। एपीबीएस कार्यक्षमता सरकार के लिए बैंक खाता संख्या और आईएफएससी¹¹ के बजाय आधार संख्या के आधार पर लाभार्थियों को भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए विकसित की गई है। सरकार ने इन भुगतानों को रिजर्व बैंक के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके लिए रिजर्व बैंक की अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना और केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य सरकार, ई-कुबेर प्रणाली और एनपीसीआई प्रणाली के बीच एकीकरण का लाभ उठाया जाएगा, ताकि डीबीटी भुगतानों की प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके।

इस व्यवस्था के तहत, राज्य सरकारें आधार-आधारित भुगतान फाइलें प्रसंस्करण के लिए सीधे एनपीसीआई को भेजेंगी, जबकि रिजर्व बैंक सकल निधि निपटान (डेबिट/क्रेडिट) लेखांकन करेगा। परियोजना का पायलट रन 25 नवंबर, 2024 को राजस्थान राज्य सरकार, पीएफएमएस और एनपीसीआई के साथ आयोजित किया गया था।

स्रोत: आरबीआई।

मौजूदा सरकारी पहलों का स्थिरीकरण

X.42 रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी बैंकिंग की प्रक्रिया को निरंतर उन्नत करने और बेहतर बनाने के प्रयास के भाग के रूप में, नेपाल में रहने वाले पेंशनभोगियों को रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा रक्षा पेंशन भुगतानों के प्रसंस्करण के लिए ई-भुगतान में भारत-नेपाल प्रेषण सुविधा को लाइव किया गया।

X.43 एसएनए-स्पर्श मॉडल के अंतर्गत, सीएसएस निधियों को समय पर जारी करने के लिए एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र में 20 और राज्य सरकारों को शामिल किया गया।

X.44 कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) जिसने 2023 में पूर्ववर्ती ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएस) की जगह ली थी, स्थायी हो गया है। उपलब्ध भुगतान विधियों का विस्तार करने और करदाता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) और टीआईएन प्लेटफ़ॉर्म दोनों पर एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) जैसे भुगतान के नए तरीके जोड़े गए हैं। जीएसटी से संबंधित ऑनलाइन त्रुटि ज्ञापन (एमओई) मामलों के प्रसंस्करण के लिए रिजर्व बैंक की प्रणाली के साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के एकीकरण कार्य को पश्चिम बंगाल राज्य के ऑनबोर्डिंग और

¹¹ भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड।

मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की सरकारों के साथ उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) की शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया गया।

एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा के लिए समिति का गठन

X.45 भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी बैंकिंग कारोबार के संचालन के लिए एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन का भुगतान करता है। एजेंसी कमीशन दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्तमान दरें 1 जुलाई, 2019 से लागू की गईं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी बैंकिंग की लागतों और एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा करने के लिए सीएजी, लेखा महानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) और डीजीबीए के प्रतिनिधित्व के साथ मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने 10 मार्च, 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विशेष जमा योजना का डिजिटलीकरण, 1975

X.46 भारतीय रिज़र्व बैंक उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के अपने प्रयास के अनुरूप, ई-कुबेर 3.0 के भाग के रूप में पारंपरिक विशेष जमा योजना, 1975 के तहत खातों के रखरखाव के लिए डिजिटल समाधान विकसित करने की प्रक्रिया में है। इन खातों को ब्याज भुगतान और आहरण प्रक्रिया की कार्यक्षमता के साथ एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में लाया जाएगा।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.47 विभाग 2025-26 के लिए निम्नलिखित कार्यसूची प्रस्तावित करता है:

- अधिसूचित राज्यों के लिए एनपीसीआई, केंद्र और राज्य सरकार प्रणालियों के साथ ई-कुबेर के एकीकरण के माध्यम से एनपीसीआई के आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आधार के माध्यम से सीएसएस भुगतान का कार्यान्वयन करना।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन

X.48 आरक्षित निधि प्रबंधन के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) ने विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) का प्रबंधन जारी रखा। 2024-25 के दौरान एफईआर में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 11.7 प्रतिशत) हुई। विभाग ने अपने परिभाषित नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों/अधिकार क्षेत्रों की खोज करके विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को भी जारी रखा।

X.49 भू-राजनीतिक जोखिमों और वित्तीय बाजार की अस्थिरता के कारण बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से आरक्षित निधि प्रबंधन कार्य चुनौतीपूर्ण बना रहा (बॉक्स X.4)।

बॉक्स X.4

अनिश्चितता के युग में आरक्षित निधि प्रबंधन

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से विनिमय दर में अस्थिरता को कम करने और आवर्ती भू-राजनीतिक और आर्थिक झटकों के साथ बढ़ रहे बाह्य क्षेत्र के आघातों के प्रति समुत्थानशीलता बढ़ाने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंकिंग द्वारा हाल ही में किए गए केंद्रीय बैंक सर्वेक्षण 'ट्रेंड्स इन रिज़र्व मैनेजमेंट 2024' से पता चला है कि भू-राजनीतिक वृद्धि आरक्षित निधि प्रबंधकों द्वारा माना जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है। भू-राजनीतिक संघर्षों

की बढ़ती आवृत्ति ने समृद्ध आरक्षित निधि की आवश्यकता को उजागर किया है, जिसमें प्रतिबंधों से विदेशी आस्तियों की पहुंच और उपयोगिता प्रभावित होती है। डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी), क्रिप्टोकॉरेंसी बाजारों और एआई पर विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा चल रहे काम जैसे प्रौद्योगिकी की तेजी से हो रही उन्नति वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नया रूप दे रही है और अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी पैदा कर रही है।

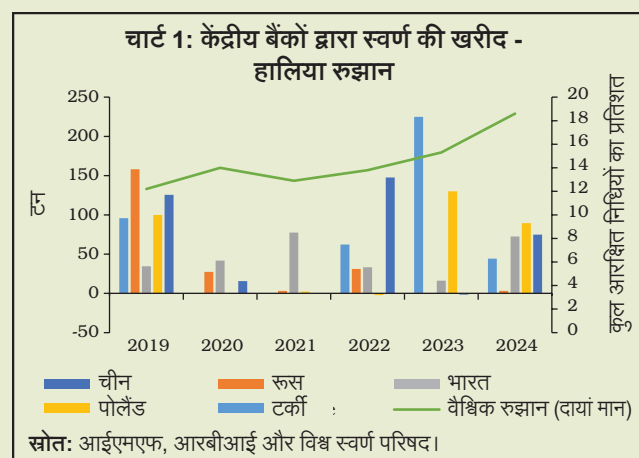
(जारी)

इन चुनौतियों के जवाब में, सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ के तीन पारंपरिक उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय बैंक प्रभावी ढंग से आरक्षित निधियों का प्रबंधन करने के लिए विविध रणनीतियों को अपना रहे हैं। इस संबंध में, विविधीकरण को सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में से एक के रूप में देखा जाता है। विभिन्न मुद्राओं, आस्ति वर्गों और अधिकार क्षेत्रों में आरक्षित निधियों का विस्तार करते हुए, देश विशिष्ट आस्तियों या भू-राजनीतिक कारकों पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं। दुनिया भर में आरक्षित निधि प्रबंधक अपनी आस्तियों को कई हिस्सों में जैसे कि चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलनिधि खंड और उच्च प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए निवेश खंड में बांटते हैं। इसके अलावा, स्वर्ण के सुरक्षित-आश्रय संपत्ति होने के गुण ने केंद्रीय बैंकों द्वारा स्वर्ण की महत्वपूर्ण खरीद को बढ़ावा दिया है (चार्ट 1)।

संकट काल में चलनिधि प्रबंधन एक और मुख्य केंद्रबिंदु है। अत्यधिक चलनिधि आस्तियों में आरक्षित निधि का एक हिस्सा रखने से देशों को

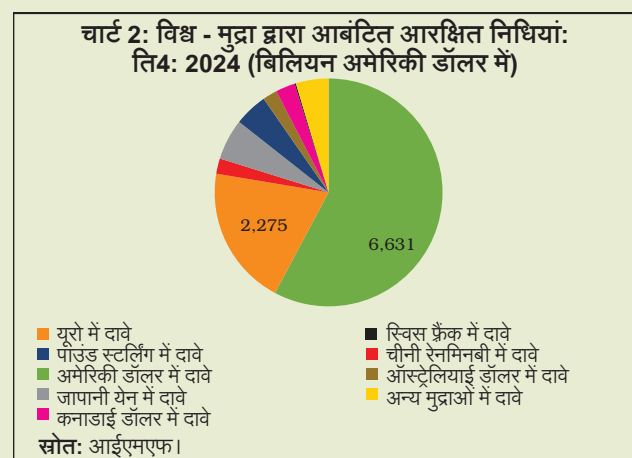
प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण होने वाले वित्तीय झटकों का तुरंत जवाब देने में मदद मिलती है। इस प्रकार, वैश्विक आरक्षित निधियों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित आस्तियों में निवेश किया जाता है (चार्ट 2)।

इसके अलावा, आरक्षित निधि प्रबंधक वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए अपनी रणनीतियों में पर्यावरण, सामाजिक और अनुशासन (ईएसजी) मानदंडों को एकीकृत करते हुए स्थायी निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये तत्व भविष्य में आरक्षित निधि की सुरक्षितता के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनिश्चितता के युग में राष्ट्रों में आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए एक गतिशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केंद्रीय बैंक मजबूत विविधीकरण, नवोन्मेष को अपनाकर और अपनी रणनीतियों में स्थिरता को शामिल करके, आघातों के खिलाफ अपनी अर्थव्यवस्थाओं की समुत्थानशीलता को मजबूत रख सकते हैं।



संदर्भ:

केंद्रीय बैंकिंग (2024), 'आरक्षित निधि प्रबंधन में प्रवृत्तियां: 2024', सर्वेक्षण परिणाम।



2024-25 के लिए कार्यसूची

X.50 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- आरक्षित निधि प्रबंधन में केंद्रीय बैंक साथियों को नेतृत्व की भूमिका प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रक्रियाओं और निवेश ढांचे को अपनाना (पैराग्राफ X.51);
- स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान में दक्षता लाने के लिए रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करना (पैराग्राफ X.52); और

- एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के तहत रुपये का उपयोग करके व्यापार निपटान के लिए एक परिचालन तंत्र तैयार करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.53]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.51 विभाग ने आरक्षित निधि प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विषय था 'आरक्षित निधि प्रबंधन में चुनौतियां - विविधीकरण की आवश्यकता'। संगोष्ठी में पांच केंद्रीय बैंकों ने भाग लिया।

X.52 स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान में दक्षता लाने के लिए भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस)¹² व्यवस्था में शामिल होने के लिए भागीदार देशों के साथ समन्वय किया (बॉक्स X.5)। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार चालान और निपटान की सुविधा के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ यूआई (जून 2023), बैंक इंडोनेशिया (मार्च 2024), मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (नवंबर 2024) और बैंक ऑफ मॉरीशस (मार्च 2025) के साथ एलसीएस के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापनों के अनुसार, व्यापार भागीदारों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान में कुछ प्रगति देखी गई है। इसके अलावा, यूपीआई त्वरित प्रतिक्रिया

(क्यूआर) कोड और रुपये कार्ड की भुगतान प्रणाली अवसंरचना के माध्यम से स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया गया है, जिसे अब कई देशों के साथ एकीकृत किया गया है।

X.53 घरेलू मुद्राओं के संभावित उपयोग पर सदस्य केंद्रीय बैंकों को जानकारी देने और आम सहमति बनाने के लिए 'एसीयू राष्ट्रों के बीच निपटान की पुनर्कल्पना' पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके बाद, एसीयू बोर्ड ने एसीयू तंत्र के तहत निपटान मुद्राओं के रूप में सदस्यों की घरेलू मुद्राओं को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। एसीयू तंत्र में घरेलू मुद्राओं के उपयोग के लिए परिचालन तंत्र पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

बॉक्स X.5

बदलती वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में स्थानीय मुद्रा में निपटान

भू-राजनीतिक तनावों में हाल ही में हुई वृद्धि और भू-आर्थिक विखंडन ने वैश्विक व्यापार और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बाहरी क्षेत्र में मौजूदा कमज़ोरियों को और बढ़ा दिया है। तदनुसार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक उभरते वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के अनुकूल होने के तरीके तलाश रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार भागीदारों की घरेलू मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार निपटान तंत्र ऐसे परिदृश्य के तहत एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है।

वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने व्यापार को जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक अपने कुछ व्यापार भागीदारों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान की संभावना तलाश रहा है, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक निपटान तंत्र प्रदान करना है। द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन के लिए एलसीएस ढांचा स्थापित करने पर संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक (सीबीयूई), बैंक इंडोनेशिया (बीआई), मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एलसीएस व्यवस्था व्यापारियों को घरेलू मुद्रा में व्यापार आय के लिए चालान और भुगतान करने की अनुमति देती है, जिससे विनिमय दर जोखिमों के जोखिम को कम किया जा सकता है। इससे बदले में, लेनदेन की लागत कम हो जाती है, घरेलू मुद्रा विनिमय दर में बाजार विकसित करने की सुविधा प्राप्त होती है और निपटान समय कम होता है। लंबी अवधि में, यह भागीदार देशों

के बीच आर्थिक जुड़ाव को भी मजबूत कर सकता है, जिससे सीमा पार निवेश में वृद्धि और गहन वित्तीय एकीकरण हो सकता है। एलसीएस की शुरुआत से ईएमई को विदेशी मुद्रा पर बचत करने और व्यापार एवं पूंजी खाता लेनदेन दोनों के निपटान में दक्षता और स्वतंत्रता देने का भरोसा मिला है।

भू-आर्थिक रूप से अधिक विखंडित दुनिया में, वैकल्पिक मुद्राएँ एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। रणनीतिक साझेदारों और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के स्थानीय मुद्रा निपटान से देश के व्यापार को जोखिम मुक्त करने और विकसित हो रही वैश्विक व्यवस्था को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्थाओं की तरह, एलसीएस एक मजबूत वैश्विक भुगतान और निपटान प्रणाली में सहायक हो सकता है जो राष्ट्रों के बीच समग्र वैश्विक व्यापार में सुधार ला सकता है।

संदर्भ:

1. कूसाकुल, जे., झांग, एल., और जिया, एम. (2024), 'जिओपॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी एंड द यूज ऑफ ग्लोबल करेंसी, वर्किंग पेपर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सितंबर।
2. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, (2024), 'पॉलिसी पिक्ट, रायजिंग श्रेट', वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अक्टूबर।

¹² स्थानीय मुद्रा निपटान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के निपटान के लिए भागीदार देशों की घरेलू मुद्राओं के उपयोग को संदर्भित करता है। एलसीएस सीमा पार व्यापार लेनदेन और भुगतान देनदारियों के निपटान के लिए तीसरे पक्ष की मुद्राओं पर निर्भरता को कम करता है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.54 विभाग ने 2025-26 के लिए नीचे उल्लिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- निम्नलिखित बिंदुओं में, रिज़र्व बैंक की नेतृत्वकारी भूमिका का लाभ उठाना: (i) बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से आरक्षित निधि प्रबंधन के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और (ii) यदि आवश्यक हो तो अन्य केंद्रीय बैंकों को प्रशिक्षण/सहायता प्रदान करते हुए 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में उभरना।
- ऋण जोखिम नीति की व्यापक समीक्षा करना और ऋण जोखिम प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.55 रिज़र्व बैंक में अनुसंधान गतिविधियों के केंद्र के रूप में, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) नीति निर्माण कार्य में समयबद्ध और सामयिक विश्लेषणात्मक सूचनाओं के माध्यम से सहायता करता है। रिज़र्व बैंक की विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक रिपोर्टें तैयार करने के अलावा, विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्राथमिक और द्वितीयक डेटा एकत्र, संकलित और प्रसारित करता है, तथा रिज़र्व बैंक के अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा लिखित सामयिक शोध पत्र और आलेख प्रकाशित करता है। यह रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों और बाहरी शोधकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान में भी जुड़ा हुआ है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.56 2024-25 के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- विश्लेषण और शामिल सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखते और बढ़ाते हुए न्यूनतम 100 शोध पत्रों का प्रकाशन (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.57];

- नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता विरोधाभास पर एक अध्ययन की तैयारी (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.58];
- 'खाद्य मुद्रास्फीति अनुमान ढांचा' पर आईसीआरआईआईआर¹³ के साथ एक संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.58]; और
- 'मौद्रिक नीति संचरण का तुलनपत्र चैनल', 'भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता', 'भारत द्वारा वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) भागीदारी और उत्पादकता पर इसका प्रभाव' और 'वित्तीय समावेशन और भारत में मौद्रिक नीति प्रभावशीलता पर उसका प्रभाव' पर अध्ययन के साथ नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाओं को सक्षम बनाना (पैराग्राफ X.60)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.57 2024-25 के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप, विभाग ने 2024-25 के दौरान 100 शोध पत्र/आलेख प्रकाशित किए। इनमें आरबीआई सामयिक पत्र श्रृंखला में छह शोध लेख, सात आरबीआई वर्किंग पेपर्स, एक डीआरजी अध्ययन, एक प्रोग्राम फंडिंग स्कीम स्टडी, 61 आरबीआई बुलेटिन लेख और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय सहकर्मि-समीक्षित पत्रिकाओं में 24 पेपर शामिल हैं। नीति निर्माण के लिए प्रासंगिक प्रमुख समकालीन मुद्दों को इन पत्रों/आलेखों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, अर्थात्; (ए) भारत के लिए ब्याज की प्राकृतिक दर का अनुमान; (बी) घरेलू बचत पोर्टफोलियो के निर्धारक; (सी) कोर मुद्रास्फीति का विश्लेषण; (डी) कृषि आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता (ई) राज्य स्तरीय राजकोषीय गुणकों का अनुमान; (एफ) ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल बैंकिंग अपनाना; और (जी) अवैतनिक घरेलू गतिविधियों का मूल्यांकन।

¹³ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद।

X.58 वर्ष के दौरान, 'नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता विरोधाभास'; 'सब्जियों, दालों, फलों, पशुधन और मुर्गीपालन में मूल्य गतिशीलता पर अध्ययन और आपूर्ति शृंखला'; 'मौद्रिक नीति संचरण का तुलन पत्र चैनल' और 'भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता' को भी पूरा करते हुए जारी किया गया। 'वित्तीय समावेशन और भारत में मौद्रिक नीति प्रभावशीलता पर इसका प्रभाव' और 'भारत द्वारा जीवीसी भागीदारी और उत्पादकता पर इसका प्रभाव' अध्ययन तैयार किए जा रहे हैं।

अन्य पहल

रिपोर्ट

X.59 2024-25 के दौरान, विभाग ने रिज़र्व बैंक की प्रमुख सांविधिक रिपोर्टें, अर्थात् आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट समय पर जारी की। 'राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन' और 'भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24' शीर्षक की रिपोर्टें भी जारी की गईं। इसके अलावा, 'भारत की डिजिटल क्रांति' विषय पर आधारित 'मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24' और 'नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियाँ' विषय पर आधारित 'नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट' भी विभाग द्वारा जारी की गईं।

आंकड़ों/सांख्यिकी का संकलन और प्रसार

X.60 मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन (बीओपी), विदेशी ऋण, प्रभावी विनिमय दरें, संयुक्त सरकारी वित्त, पारिवारिक वित्तीय बचत और निधियों के प्रवाह से संबंधित सभी प्राथमिक और द्वितीयक सांख्यिकी आंकड़ों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर जारी की गईं। वर्ष के दौरान, 2022-23 के लिए केएलएमएस (पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएँ) आंकड़ें इसके मैनुअल के साथ जारी किए गए। आपूर्ति शृंखला स्वास्थ्य और आर्थिक विकास तथा मूल्य स्थिरता

के लिए इसके निहितार्थों की निगरानी के लिए भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबावों का मासिक सूचकांक (आईएसपीआई) संकलित किया गया और आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया गया।

ज्ञान और अनुसंधान प्रसार

X.61 वर्ष के दौरान, डीईपीआर स्टडी सर्किल, जो एक आंतरिक चर्चा मंच है, ने गहन चर्चा को सुविधाजनक बनाने और अनुसंधान की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विविध विषयों पर 17 ऑनलाइन सेमिनार/अनुसंधान पत्रों के प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया। विभाग ने ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान कई उल्लेखनीय कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें आरबीआई@90 समारोहों के एक भाग के रूप में, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में 'चौराहे पर केंद्रीय बैंकिंग' पर एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन का आयोजन शामिल था, जहाँ प्रमुख केंद्रीय बैंकिंग मुद्दों जैसे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण; मौद्रिक नीति; तेजी से सीमा पार भुगतान प्रणालियों में फिनटेक और सीबीडीसी की भूमिका; केंद्रीय बैंक और वित्तीय स्थिरता पर प्रमुख चिकित्सकों और शिक्षाविदों के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया गया। नवंबर 2024 में जयपुर में डिजिटल प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, रोजगार और आर्थिक विकास पर केंद्रित एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

X.62 रिज़र्व बैंक की अनुसंधान और रिपोर्ट गतिविधियों के व्यापक प्रसार के लिए, विभाग ने नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; और भारत के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें संकाय सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत और संवाद किए गए।

X.63 चौथा सुरेश तेंदुलकर स्मारक व्याख्यान 5 जुलाई, 2024 को फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. जॉन सी. विलियम्स द्वारा 'मैनेजिंग दी नोन अननोन्स' विषय पर दिया गया, जिसमें

उन प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रणनीतियों के मूल में हैं और अनिश्चितता के प्रबंधन में अमूल्य साबित हुए हैं। उन्नीसवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान 28 नवंबर, 2024 को भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा द्वारा '21वीं सदी में भारत में छोटे किसानों की कृषि में बदलाव: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ' विषय पर दिया गया।

X.64 वर्ष के दौरान, केंद्रीय पुस्तकालय ने रिज़र्व बैंक की शोध गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पुस्तकालय संसाधनों के डिजिटल अधिग्रहण, डिजिटल पहुँच और डिजिटल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। इसने रिमोटएक्स एप्लिकेशन के साथ दो नए ऑनलाइन डेटाबेस की सदस्यता ली, जो सभी सब्सक्राइब किए गए ई-संसाधनों तक निर्बाध दूरस्थ पहुँच में मदद करता है। पुस्तकालय ने पुस्तकालय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की विषयगत प्रदर्शनी भी आयोजित की।

X.65 आरबीआई अभिलेखागार ने विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से प्राप्त 4,333 फाइलें, पांच रजिस्टर और 12 सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) एक्सेस किए। नई दिल्ली में आयोजित 'चौराहे पर केंद्रीय बैंकिंग' विषय पर उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान रिज़र्व बैंक के इतिहास पर प्रदर्शनी भी लगायी गई।

शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को सहायता

X.66 रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(15बी) के अनुसरण में, आरबीआई प्रोफेशनल चेयर एंड कॉर्पस फंड योजना के माध्यम से बाहरी शोध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, पूरे भारत में फैले अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों में 20 आरबीआई प्रोफेशनल चेयर हैं। 2024-25 में, रिज़र्व बैंक ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में एक नया चेयर बनाया। वर्ष के दौरान, आरबीआई चेयर द्वारा किए गए

अनुसंधान में मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, जलवायु वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और व्यापारिक व्यापार सहित व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया। कई आरबीआई चेयर ने पारंपरिक समष्टि अर्थशास्त्र शिक्षण को एक परिचालनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित मुद्दों पर छात्रों और युवा संकाय सदस्यों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं। विभाग ने इन कार्यशालाओं के लिए संकाय सहायता प्रदान की।

X.67 रिज़र्व बैंक ने सहयोगात्मक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए बाह्य अनुसंधान योजनाएं भी शुरू की हैं। रिज़र्व बैंक की कार्यक्रम निधीयन योजना के भाग के रूप में 'लक्षद्वीप द्वीपसमूह में डिजिटल वित्तीय साक्षरता की स्थिति: बाधाएं और आगे की राह' शीर्षक से एक अध्ययन किया गया, जिससे भारत के भौगोलिक रूप से निर्जन और कम अध्ययन वाले लक्षद्वीप द्वीपों में वित्तीय क्षेत्र और डिजिटल पहुँच के बारे में जानकारी मिली। रिज़र्व बैंक की डीआरजी अध्ययन योजना के भाग के रूप में, 'भारत में मौद्रिक नीति संचरण और श्रम बाज़ार' पर एक अध्ययन पूरा करते हुए प्रकाशित किया गया, जिसमें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के तहत मौद्रिक नीति संचरण पर भारत के श्रम बाज़ार के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, विभिन्न समकालीन आर्थिक मुद्दों पर अल्पकालिक अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करने के लिए पांच विद्वानों का चयन किया गया।

घरेलू/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहभागिता

X.68 विभाग ने आईएमएफ की पैराग्राफ IV की बैठकों और भारत के एफएसएपी पर आईएमएफ-विश्व बैंक के संयुक्त मिशन में सक्रिय रूप से भाग लिया। विभाग ने भारत-जापान समष्टि आर्थिक परामर्श और बैंक डी फ्रांस प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श में भी योगदान दिया। विभाग ने मोरक्को के माराकेश में आयोजित 44वीं सार्कफाइनेंस गवर्नर्स समूह बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार 'सार्क देशों में मौद्रिक

नीति के लिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के निहितार्थ पर आरबीआई के नेतृत्व वाले सहयोगी अध्ययन को समर्थन प्रदान किया। अन्य सहभागिताओं में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ वर्तमान आर्थिक गतिविधियों पर बातचीत, एसईएसीईएन अनुसंधान और मौद्रिक नीति निदेशकों की बैठक में भागीदारी, अनुसंधान प्राथमिकताओं पर बीआईएस एशियाई परामर्शदात्री परिषद (एसीसी) की बैठक, बीआईएस वैश्विक अर्थव्यवस्था बैठकें और ओईसीडी आर्थिक नीति समिति की बैठकें शामिल थीं।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.69 2025-26 के लिए विभाग की कार्यसूची निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होगी:

- न्यूनतम 100 शोध पत्र प्रकाशित करने का लक्ष्य बनाए रखना;
- 'भारत का बाह्य क्षेत्र: वैश्विक अशांति से निपटना' विषय पर आधारित मुद्रा और वित्त 2024-25 पर रिपोर्ट और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर रिपोर्ट का प्रकाशन; और
- केंद्रीय बैंकिंग के मुख्य क्षेत्रों के साथ-साथ उभरते नीतिगत मुद्दों, जैसे मुद्रास्फीति की गतिशीलता, मौद्रिक और नियामक नीति, वास्तविक क्षेत्र और डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों को शामिल करने वाले सामयिक अध्ययन करना। इन अध्ययनों में अन्य विषयों के साथ, 'बहुभिन्नरूपी कोर प्रवृत्ति मुद्रास्फीति: अंतर्निहित मुद्रास्फीति का आकलन', 'मजदूरी और मुद्रास्फीति (वेतन फिलिप्स वक्र) गतिशीलता: पीएलएफएस डेटा से अंतर्दृष्टि', 'बैंक प्रतिस्पर्धा और मौद्रिक संचरण', 'फिनटेक ऐप उपयोगकर्ता अनुभव के संचालक: एक टेक्स्ट माइनिंग दृष्टिकोण', 'वास्तविक प्रभावी विनिमय दर: सेवा व्यापार भार के साथ वृद्धि' जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.70 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) ने समष्टि वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के अपने मुख्य कार्यों को जारी रखा। विभाग ने नवीनतम तकनीकों को अपनाकर सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन के दायरे और गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आंकड़ों के पूर्वानुमान और संकलन के लिए प्रयुक्त पद्धतियों को नवीन तकनीकों और मॉडलों के उपयोग को बढ़ाकर परिष्कृत किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सर्वेक्षणों के दायरे और पहुंच का विस्तार किया गया।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.71 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- मेटाडेटा-आधारित डेटा एक्सेस और विज़ुअल एनालिटिक्स के लिए मानक डेटा क्वेरी इंजन (डीक्यूई) का विकास और कार्यान्वयन (पैराग्राफ X.72);
- प्रमुख विनियमित संस्थाओं द्वारा सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानक डेटा रिपोर्टिंग जिसमें बैंकिंग व्यवसाय का 90 प्रतिशत शामिल है (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.73];
- भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल की सार्वजनिक पहुंच के लिए मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन (पैराग्राफ X.74);
- प्रमुख कंपनियों के घरेलू/विदेशी उधार और वित्तीय खातों के लिंकेज के लिए ढांचे का विकास (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.75]
- गैर-पारंपरिक डेटा का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों का विकास,

जिसमें उपग्रह इमेजरी डेटा जैसे गैर-पाठ डेटा शामिल हैं (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.76]; और

- वैश्विक डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे को लागू करके रिज़र्व बैंक के डेटा गवर्नेंस ढांचे (डीजीएफ) को परिष्कृत करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.77]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.72 एसडीएमएक्स तकनीक पर आधारित मेटाडेटा संचालित मानक डीक्यूई को उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा एक्सेस और विज़ुअल एनालिटिक्स के लिए विकसित और कार्यान्वित किया गया है। यह रिज़र्व बैंक के डीबीआई पोर्टल पर ग्रेन्युलैरिटी के वांछित स्तर पर समष्टि आर्थिक डेटा तक सार्वजनिक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

X.73 संग्रहण, प्रसंस्करण और तत्व-आधारित डेटा रिपोजिटरी के निर्माण के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पूरा हो चुका है। मौजूदा पारंपरिक डेटा आर्किटेक्चर से एसडीएमएक्स तत्व-आधारित डेटा बनाने के लिए एक कनवर्टर एप्लीकेशन विकसित किया गया है। चुनिंदा रिटर्न के लिए एसडीएमएक्स तत्व-आधारित डेटा का परीक्षण पूरा हो गया है। पायलट परीक्षण करने के लिए एक अवधारणा का प्रमाण (पीओसी)¹⁴ टीम बनाई गई है।

X.74 प्रमुख समष्टि-वित्तीय डेटा तक उपयोगकर्ता को अनुकूल पहुंच प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन, 'आरबीआई डेटा ऐप' विकसित किया गया है। यह वास्तविक, कॉर्पोरेट, वित्तीय, राजकोषीय और बाहरी क्षेत्रों के साथ-साथ भुगतान संकेतकों और सर्वेक्षण डेटा से लगभग 11,000 पृथक समष्टि आर्थिक डेटा श्रृंखलाओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रत्येक श्रृंखला को डाउनलोड सुविधा के साथ वास्तविक समय में विज़ुअल रूप से प्रस्तुत और अपडेट किया जाता है। यह एप्लीकेशन भारतीय मानचित्र पर बैंकिंग आउटलेट्स के साथ-साथ सार्क वित्त डेटाबेस का विवरण भी प्रदान करता है।

X.75 प्रमुख कंपनियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से लिए गए उधारों को जोड़ने के लिए केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में एक प्रणाली विकसित की गई है। यह कार्य शीर्ष 500 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए विभिन्न स्रोतों से कॉर्पोरेट उधार डेटा को एकीकृत करके किया गया था। कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंकड़ों को उनके वित्तीय प्रदर्शन से भी जोड़ा गया है।

X.76 रिज़र्व बैंक के कार्यात्मक क्षेत्रों में डेटा विज्ञान [कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल)] अनुप्रयोगों का दायरा पारंपरिक और नए युग के डेटा स्रोतों का उपयोग करके अन्य केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) के समन्वय में बढ़ाया जा रहा है। विभाग ने नीतिगत उद्देश्यों के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स, एमएल और टेक्स्ट माइनिंग की शक्ति का और अधिक लाभ उठाया, और विभिन्न विभागों के लिए परियोजनाएं शुरू की गईं।

X.77 संगठनात्मक संरचना, प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंतरिक उपयोग के लिए डेटा गवर्नेंस ढांचा तैयार किया गया है। वैश्विक डेटा गुणवत्ता ढांचे पर एक मूल्यांकन किया गया है और समग्र रिपोर्टिंग इकाई स्तर पर एक डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) के साथ-साथ कई आयामों को शामिल करने वाले उप-सूचकांक भी तैयार किए गए हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत अधिनियमों का प्रभाव, केंद्र सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

अन्य पहल

X.78 सीएमआईएस परियोजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मॉड्यूल पूरे किए जा चुके हैं। आरबीआई उपयोगकर्ताओं के लिए सभी रिपोर्ट, डैशबोर्ड, एड-हॉक क्वेरी और अन्य मॉड्यूल (लीगेसी एक्सबीआरएल/डीबीआईई के अंतर्गत आने वाले मॉड्यूल सहित) उपलब्ध करा दिए गए हैं।

¹⁴ यह एक अभ्यास है जो इस पर केंद्रित है कि क्या किसी विचार को वास्तविकता में बदला जा सकता है या यह सत्यापित करना कि क्या विचार परिकल्पना के अनुसार कार्य करेगा।

X.79 मशीन पठनीय डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करने वाले एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) का उपयोग करके डेटा प्रसार पूरा होने के उन्नत चरण में है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के डेटा प्रसार, डीबीआईआई का यूआरएल बदलकर <https://data.rbi.org.in> कर दिया गया है।

X.80 व्यापक ऋण सूचना भंडार (सीसीआईआर) प्रणाली के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को शामिल करते हुए पायलट रन प्रगति पर है। सफल परीक्षण के बाद, प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लाइव किया जाना है।

X.81 विभाग ने पोर्टफोलियो निवेश, विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) की अलग पहचान और अन्य खातों में प्राप्य/देय राशियों के संबंध में भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के संकलन को परिष्कृत किया।

X.82 वर्ष 2022 में शुरू किए गए ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परिवारों की आर्थिक भावनाओं को समझना है। आरसीसीएस, एक द्वि-मासिक सर्वेक्षण है, जो मौद्रिक नीति चक्र के साथ तालमेल बिठाकर आयोजित किया जाता है। यह सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय, खर्च, कीमतों और मुद्रास्फीति पर वर्तमान और भविष्य के विचारों को इकट्ठा करता है। यह सभी भारतीय राज्यों और चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों में 600 से अधिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के 9000 परिवारों को समाहित करने का लक्ष्य रखता है। सर्वेक्षण का परिणाम 9 अप्रैल, 2025 को मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद पहली बार सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया था।

X.83 ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया से कॉर्पोरेट भावनाओं की नियमित रूप से निगरानी करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एआई/एमएल का उपयोग करने वाली एक प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी नियमित उद्यम सर्वेक्षणों के परिणामों को पूरक बनाती है।

X.84 सकल मूल्य वर्धित (जीवीए), गैर-कृषि जीवीए (एनएजीवीए) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए तत्कालिक अनुमान मॉडल को नया रूप दिया गया, और अल्पकालिक पूर्वानुमान के लिए बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) के प्रायोगिक उपयोग के साथ-साथ मौसमी ऑटोरिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (एसएआरआईएमए) दृष्टिकोण का उपयोग करके विकास के मांग पक्ष घटकों के लिए पूर्वानुमान ढांचे का विस्तार किया गया। रिज़र्व बैंक में मौजूदा मुद्रास्फीति पूर्वानुमान दृष्टिकोणों के अलावा, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति (हेडलाइन और कोर दोनों) के पूर्वानुमान के लिए एमएल विधियों का उपयोग करने वाले एक सैद्धांतिक मॉडल का एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया था। इसके अलावा, सीपीआई-प्याज़ और सीपीआई-गेहूं के लिए एक एआई/एमएल -आधारित पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है, जो पारंपरिक डेटा स्रोतों के साथ असंरचित डेटा सेट को एकीकृत करता है।

X.85 अगस्त 2024 के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती बिक्री की घटना की जांच करने के लिए, 19 शहरों में 15,000 परिवारों और 235 ऑटोमोबाइल डीलरों के बीच 'भारतीय उपभोक्ताओं की गुणवत्ता वरीयता' पर एक त्वरित सर्वेक्षण किया गया था।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.86 विभाग 2025-26 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- शेष कागज़-आधारित/ई-मेल-आधारित रिपोर्टिंग के साथ-साथ किसी भी तदर्थ डेटा संग्रह को सीआईएमएस में संरचित इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में स्थानांतरित करना (उत्कर्ष 2.0);
- सीआईएमएस के आईटी बुनियादी ढांचे को रिज़र्व बैंक के एक नए डेटा सेंटर में स्थानांतरित करना;
- सीआईएमएस के हिस्से के रूप में बैंकिंग बुनियादी ढांचा (सीआईएसबीआई) प्रणाली के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली का आधुनिकीकरण करना;

- तत्व-आधारित रिपोर्टिंग के लिए एसडीएमएक्स-आधारित डेटा संग्रह का चरणबद्ध तरीके से रोल आउट (उत्कर्ष 2.0);
- पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए डेटासेट की खोज करते हुए, उन्नत एआई/एमएल तकनीकों का उपयोग करके पूर्वानुमान और तत्कालिक अनुमान मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जलवायु डेटा का लाभ उठाना;
- असंरचित डेटा के पूर्व-प्रसंस्करण और मूल्यवान गहरी पहुंच प्राप्त करने के लिए उनके उपयोग की योजना के साथ पाठ विश्लेषण के लिए एलएलएम में प्रगति का लाभ उठाना। एलएलएम द्वारा अर्जित पूर्व-प्रसंस्कृत डेटा मौजूदा एआई/एमएल मॉडल में इनपुट के रूप में काम कर सकता है; और
- प्रमुख समष्टि आर्थिक समुच्चयों के संकलन में मौजूद संशोधन के अनुरूप (ए) आवास मूल्य सूचकांक और (बी) बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक के लिए कवरेज और आधार संशोधन का विस्तार करना।

8. विधिक मुद्दे

X.87 विधि विभाग विधिक मुद्दों की जांच करता है और रिज़र्व बैंक को सलाह देता है तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन में सहायता करता है। यह विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष मामलों की सुनवाई में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। विभाग, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरेल) और आरबीआई के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को विधिक मुद्दों, मुकदमों और अदालती मामलों पर कानूनी सहायता और परामर्श भी देता है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.88 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- विधिकैम्स पर अपलोड करने के लिए रिज़र्व बैंक की अदालती केस फाइलों का डिजिटलीकरण और केस की स्थिति का अद्यतन (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.89];
- विनियमन का मसौदा तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ X.90); और
- रिज़र्व बैंक के सांविधिक विनियमों का सामंजस्य (पैराग्राफ X.91)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.89 रिज़र्व बैंक के विधि अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्रोसेस एप्लीकेशन- विधिकैम्स ने केस दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने में सक्षम बनाया है। यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को मामलों की स्थिति अपडेट करने की भी अनुमति देता है।

X.90 विभाग ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के सहयोग से, दिसंबर 2024 में पर्यवेक्षण विभाग, विनियमन विभाग, प्रवर्तन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और फिनटेक विभाग के अधिकारियों के लिए 'विनियमन प्रारूपण' पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

X.91 विभाग ने रिज़र्व बैंक के सांविधिक विनियमों के सामंजस्य (यानी समेकन) की दिशा में कार्य शुरू किया है।

अन्य पहल

X.92 2024-25 के दौरान, विभाग के अनुसंधान कक्ष ने अपने अध्ययन मंडल अर्थात् एक आंतरिक चर्चा मंच के तहत कई सत्र आयोजित किए, जिसमें विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों ने कानून के उभरते क्षेत्रों पर प्रस्तुतियाँ दीं।

X.93 विभाग ने प्रशिक्षुओं को केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित कानून के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ-साथ बाहरी संस्थाओं को संकाय सहायता भी प्रदान की।

X.94 विभाग ने उन मुकदमों पर विस्तृत डेटा प्रकाशित किया जिनमें रिज़र्व बैंक को रिज़र्व बैंक के आंतरिक पोर्टल पर पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी अपलोड किए गए, जिससे रिज़र्व बैंक के सभी विभागों तक आसान पहुंच और संदर्भ उपलब्ध हो सके।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.95 2025-26 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- 'वित्तीय क्षेत्र में कानूनी कार्यकलाप को बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठाने' पर एक अनुसंधान पत्र तैयार करना।

9. निष्कर्ष

X.96 रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतिगत कार्रवाइयों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक दर्शकों के साथ जुड़ते

हुए अपने संचार टूलकिट का विस्तार किया। वैश्विक संगठनों, बहुपक्षीय निकायों और विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया गया। सीएसएस के तहत वास्तविक समय के निधि अंतरण के लिए एकीकृत ढांचे को अतिरिक्त हितधारकों को शामिल करते हुए विस्तारित किया गया। अनिश्चित भू-राजनीतिक स्थितियों और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों के बीच विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से किया गया। समयबद्ध और विश्लेषणात्मक सूचनाओं के माध्यम से नीति निर्माण में सहायता के लिए सामयिक और उभरते हुए समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर आर्थिक अनुसंधान किया गया। सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन प्रणाली को नवोन्मेषी पद्धतियों, उन्नत मॉडलों को अपनाकर और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करके परिष्कृत किया गया। रिज़र्व बैंक ने अपने न्यायालयीन मामलों के डिजिटलीकरण और संवैधानिक विनियमों के समेकन की शुरुआत की।